

केन्द्र व उत्तराखण्ड सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त
कृष्ण श्री सदगुरु देवाय नमः कृ ओऽम् कृ जय माता दी कृ
कृ सीताराम बाबा जी कृ जय बाबा की कृ श्चयाम बाबा कृ जै कृ
कृ ! जाके सुप्रियन तें रिपु नासा!! ! नाम सत्रहन बेद प्रकासा!! कृ

उल्लंघन सिस्तोः सलिलं सलीलं, यःशोकवहि जनकात्मजावा: आदाय तेनैव ददाह लंकां, नपामि तं प्राज्ञलिङ्गजनयम्
मनोज्जवं मालत तुल्य वेगं, वित्तिन्द्रियं वृत्तिमतो वरिष्ठम्: वातात्मजं वानरवृद्धं मुख्यं, श्रीरामं दूरं शरणं प्रवद्यते

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

आदाय तेनैव ददाह लंकां, नपामि तं प्राज्ञलिङ्गजनयम्

मनोज्जवं मालत तुल्य वेगं, वित्तिन्द्रियं वृत्तिमतो वरिष्ठम्: वातात्मजं वानरवृद्धं मुख्यं, श्रीरामं दूरं शरणं प्रवद्यते

केन्द्र व उत्तराखण्ड सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

वर्ष 24

अंक 120

पृष्ठ 8

रुद्रपुर(उथमसिंहनगर)

बुधवार

7 फरवरी 2024

मूल्य दो रुपया

darpan.rdr@gmail.com

9897427585

UTTARANCHAL DARPARAN

www.uttaranchaldarpan.in

GAGNEJA
PROPERTIES
CONTACT FOR
SALE, PURCHASE
RENT & LEASE

✓ Shops ✓ Houses
✓ Industrial Property
✓ Commercial Property
✓ Agriculture Land

REAL ESTATE
WITHOUT THE HASSLE

MO.-8630672525, 8279444462

ADD- SRA F69, Shop No.4,
Adarsh Colony, Rudrapur

संदिग्ध हालातों में घर में
फांसी पर लटका मिला पेंटर

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। गत रात्रि ट्रॉफिट कैम्प के मौहल्ला आजाद नगर में

एक पेंटर का काम करने वाला युवक संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फांसी पर लटका मिला। परिजन उसे फांसी से उतार कर पहले निजी चिकित्सालय और फिर जिला चिकित्सालय ले गये जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टंड के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार मौहल्ला आजादनगर ट्रॉफिट कैम्प निवासी 26 वर्षीय विकासी हाल्दार पुत्र हरी हाल्दार पेंटर का काम

करता था। घर में उसकी भाभी गुड़िया पत्नी स्व. बंटी हाल्दार, अपने पुत्र 15 वर्षीय वंश, पुत्री प्रियंका वर्षी और नवजात बाल जीवन रहते हैं। देवराज सिड्कुल

में काम करता है वहीं गुड़िया काम मिलने पर मजदूरी करती है। बताया जाता है कि गत दोपहर विकासी अपने कमरे में चला गया था। दो सार्व काल जब उसे बुलाने गये तो दरवाजा नहीं खुला। किसी तरह दरवाजा खोलकर भीतर (शेष पृष्ठ सात पर)

चोरी की बाइक के साथ दो शातिर गिरफ्तार यूसीसी के समर्थन में निकाली रैली

काशीपुर (उद संवाददाता)। चोरी की बाइक के साथ पुलिस ने दो शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जरूरी जानकारी जुटाना के बाद पकड़े गए चोरों का पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में चालान करते हुए अधिकारी को न्यायालय की समक्ष पेश कर दिया गया। पता चला है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थे इसी दौरान उसने कब्रिस्तान तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान बगर नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर फर्फटा भरते दो युवकों को शक के आधार पर दौड़कर दबोच लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना नाम बार्ड नंबर 2 नहर की पुलिया, खड़कपुर देवीपुरा थाना आईटीआई निवासी मनोज कुमार उर्फ बबलू पुत्र मेवाराम तथा दूसरे ने दिनेश पुत्र महेंद्र निवासी उपरोक्त बताया। गहनता से जांच करने पर बरामद मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए चोर नशे के आदी हैं। नशे की पूर्ति करने के लिए वह चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों बाइक शोरूम से जरूरी पूछताछ के बाद उनका चालान करते हुए अधिकारी को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया।



खटीया (उद संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एकत्र होकर यूसीसी के समर्थन में निकाली एवं मुख्य चौक पर मिछान वितरण कर उत्तराखण्ड में समान नागरिक सहित लागू होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री धामी का आभार प्रकट किया। इस दौरान नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी एवं महामंत्री मनोज भाजपा के नेतृत्व में मुख्य चौक पर आतिशयाजी भी की गई। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा कि यूसीसी विधायक लाये जाने से उत्तराखण्ड की जनता में हर्ष की लहर है। कहा कि यह कानून



उत्तराखण्ड को नई दिशा और दशा प्रदान खड़ायत, जिला महामंत्री सतीष गोयल, करेगा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी भवानी भंडारी, पवन अग्रवाल, गोपाल बोरा, अमित पांडे, (शेष पृष्ठ सात पर)

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं, सीएचओ आदि शामिल होंगे।

ये टीम फोन पर जानकारी मिलने के बाद वृद्ध के घर जाकर जांच करेगी तथा आवश्यक होने पर उन्हें चिकित्सालय तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगी। जाना हो कि प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 2.91 लोग अब तक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा इस आयु वर्ग के 2.91 लोग अब तक आयुष्मान योजना के तहत उपचार ले चुके हैं। इनकी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी भी विभाग के पास पहले से ही मौजूद है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं, सीएचओ आदि शामिल होंगे।

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं, सीएचओ आदि शामिल होंगे।

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं, सीएचओ आदि शामिल होंगे।

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं, सीएचओ आदि शामिल होंगे।

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं, सीएचओ आदि शामिल होंगे।

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं, सीएचओ आदि शामिल होंगे।

देख भाल का बीड़ा उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। यो जना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें आशाएं,

पति के साथ पत्नी को भी बराबर अधिकार

यूसीसी में शाहबानो केस को बनाया आधार: हलाला करने पर तीन साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का सख्त प्रावधान होगा।

सभी वर्गों में पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान

देहरादून। समान नागरिक संहिता में पति के साथ पत्नी को भी बराबर का अधिकार दिया गया है। पति की तरह अब पत्नी चाहेगी तो पति से तलाक ले सकेगी। तलाक के लिए पति की एक से अधिक पत्नी, दुष्कर्म का दोषी होने के साथ ही क्ररता, किसी अन्य के साथ विवाहित र संबंध या लगातार दो वर्ष तक दूरी बनाकर रखना भी आधार बन सकता है। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के मुताबिक, नुस्काता या जानबूझकर यौन संबंध नहीं बनाने पर विवाह शून्य हो जाएगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की सहमति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से लेने पर, विवाह के समय पत्नी के किसी अन्य पुरुष से गर्भवती होने या पति ने विवाह के समय पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को गर्भवती किया हो तब भी विवाह शून्य माना जाएगा। पति या पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, पति या पत्नी मानसिक विकार या असाध्य संचारी यौन रोग से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह को शून्य माना जाएगा। पत्नी इस आधार पर ले सकती है तलाक पति विवाह के बाद दुष्कर्म या किसी अन्य प्रकार के अप्राकृतिक यौन

किया गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसे दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी एक के उत्तराधिकारी एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। मृतक का प्रत्येक जीवित पति/पत्नी एक-एक अंश। प्रत्येक पूर्व मृत बच्चे का एक अंश।

पूर्व मृत बच्चे की शाखा को न्यायगत होने वाला अंश प्रत्येक जीवित पति/पत्नी, जीवित बच्चे और पूर्व-मृत बच्चे के पूर्व-मृत बच्चे के मध्य समान रूप से बटेगा। ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारी नहीं होगे: मृत नातेश्वर की पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट के आदेश पर मुरह लगा दी। यूसीसी बिल में बहु विवाह को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। हर विवाह और तलाक का पंजीकरण ग्राम, नगर पंचायत, नगर निगम, महानगर पालिका के स्तर पर ही कराया जाना संभव होगा। इसके लिए पोर्टल भी एक माध्यम होगा। बिल में स्पष्ट किया गया है कि एक विवाह होने के बाद दूसरा विवाह पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। सभी धर्मों के लिए विवाह की आयु समान की गई है। पुरुष के लिए कम से कम 21 वर्ष और स्त्री के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है। मुस्लिम परसनल लोगों में विवाह की आयु बालिग होने या 15 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन अब प्रदेश में सबके लिए आयु की एक ही सीमा होगी। हालांकि, ये स्पष्ट किया गया कि इससे किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय और मत के अपने-अपने रीति विवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निकाह, आनंद कारज, अग्नि के समक्ष फेरे और होली मेट्रिमोनि रीति विवाज अपनी मान्यताओं के अनुसार ही होंगे। हालांकि इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजातियां यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी।

अग्नि के समक्ष फेरे, निकाह, आनंद कारज और होली मेट्रिमोनि रीति विवाज मान्यताओं के अनुसार होंगे

देहरादून। यूसीसी बिल में महिला के दोबारा विवाह करने (चाहे वह तलाक लिए हुए उसी पुनरे व्यक्ति से विवाह करना हो या किसी दूसरे व्यक्ति से) को लेकर शर्तों को प्रतिबंधित किया गया है। संहिता में माना गया कि इससे पति की मृत्यु पर होने वाली इहत और निकाह टूटने के बाद दोबारा निकाह से पहले हलाला यानी अन्य व्यक्ति से निकाह व तलाक का खात्मा होगा। यूसीसी में हलाला का प्रकरण सामने आने पर तीन साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लाने के लिए इंडोर की शाहबानो के मामले को भी आधार बनाया गया। इसमें बताया गया कि कैसे 62 वर्ष की उम्र में शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था। उनके पांच बच्चे थे। वह न्यायालय गई तो उन्हें 25 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का निर्णय हुआ। इससे असंतुष्ट शाहबानो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गई, जिसने गुजारा भत्ता बढ़ाकर 179.20 रुपये प्रतिमाह कर दिया, मगर पति ने भत्ता देने से इन्कार कर दिया। अप्रैल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट के आदेश पर मुरह लगा दी। यूसीसी बिल में बहु विवाह को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। हर विवाह और तलाक का पंजीकरण ग्राम, नगर पंचायत, नगर निगम, महानगर पालिका के स्तर पर ही कराया जाना संभव होगा। इसके लिए पोर्टल भी एक माध्यम होगा। बिल में स्पष्ट किया गया है कि एक विवाह होने के बाद दूसरा विवाह पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। सभी धर्मों के लिए विवाह की आयु समान की गई है। पुरुष के लिए कम से कम 21 वर्ष और स्त्री के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है। मुस्लिम परसनल लोगों में विवाह की आयु बालिग होने या 15 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन अब प्रदेश में सबके लिए आयु की एक ही सीमा होगी। हालांकि, ये स्पष्ट किया गया कि इससे किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय और मत के अपने-अपने रीति विवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निकाह, आनंद कारज, अग्नि के समक्ष फेरे और होली मेट्रिमोनि रीति विवाज अपनी मान्यताओं के अनुसार ही होंगे। हालांकि इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजातियां यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी।

जोशीले अंदाज में दिखे दिग्गज, फिसली जुबान



किसी ने संहिता को संगीता तो किसी ने आचार संहिता बताया

किया। विषय की मांग पर सदन की बंशीधर भगत भी यूसीसी को लेकर कार्यवाही दाई घंटे तक स्थगित की गई। दो बजे सत्र शुरू हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यूसीसी विधेयक के प्रवाधानों की सदन को जानकारी दी। इस दैरान समान नागरिक संहिता पर भी उनकी जुबान फिसली गई और संहिता को आचार संहिता कह गए। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी यूसीसी पर बोलते हुए खूब ठहाके लगाए। सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में पेश

सको तो लूट। हम तुम्हारी धनियां उड़ा देंगे। तुम्हारी सिमटती खोली में इतिहास बनायें। सदन में आज सत्र पक्ष के विधायक बंशीधर भगत और सुमित हृदय एक के विषय की मांग पर सदन को जानकारी दी। इस दैरान समान नागरिक संहिता पर भी उनकी जुबान फिसली गई और संहिता को आचार संहिता कह गए। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी यूसीसी पर बोलते हुए खूब प्रशंसा की है। धामी जी इतना दिमाग कहां से लाये है। बोले राम नाम की लूट मची है लूट नेता बंशीधर भगत ने कहा कि देश के

पहले सीएम धामी ने आज इतिहास रचा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कहा तंज करने से तो राज को राज रहने दो। अब हिंदुस्तान की नींव बदलने वाली है। वहीं विधायक सुमित हृदय ने कहा कि सदन में पेश किये यूसीसी बिल पर विस्तृत चर्चा का समय दिया तो विधायक बंशीधर भगत ने अपने ही अंदाज में नजर आये। अपने चर्चित वयानों से सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत ने कहा कि देश के

सौतेले व्यवहार के खिलाफ उपनल कर्मी मुखर

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के विभिन्न विभागों के उपनल कर्मचारियों के साथ गेट मीटिंग की जाएगी। जिसमें कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बार-बार अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु शासन को पत्र भेजे गए जिनका निस्तारण तो दूर उन पर वार्ता करने के लिए भी उपनल के पदाधिकारियों को बुलाया तक नहीं। राज्य गठन के बाद उपनल कर्मचारियों ने अपने जीवन का अमूल्य समय अल्पवेतन में कार्य करते हुए 15 से 18 वर्ष कार्य करते हुए समस्त विभागों/निगमों इत्यादि को

आन्दोलन को मजबूर होंगे। उससे यदि विकास कार्य बाधित होंगे तो उसकी सम्पूर्ण जिमेदारी शासन प्रशासन की होगी। गेट मीटिंग करने वालों में जिला सहयोग प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार,

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। अपनी मांगों को लेकर लुकास टी वी एस मजदूर संघ पन्तनगर का श्रम विभाग में धरना 71वां दिन व अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। धरना स्थल पर महामंत्री बसन्त गोस्वामी ने सभा को सम्बोधित करते हुए श्रमिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि श्रमिक समस्याओं का समाधान न होने तक अनिश्चित

कालीन हड़ताल चालू रहे गी। कार्यकारी अध्यक्ष हरीश चन्द्र सिंह ने सम्बोधित करते हुए शीघ्र रैली निकालने का दिया संकेत। संगठन मंत्री दीवान सिंह ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मार्ग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी व जरुर पड़ने पर कम्पनी के अन्य श्रमिकों को जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। हड़ताल में संगठन के सभी सदस्य मौजूद रहे। समर्थन देने वालों में आंटो लाइंस एम्पलाइज यूनियन के जगदीश नाथ को घायक, प्रकाश सिंह मेहरा महामंत्री, मानसिंह मेहरा सदस्य, विश्वामित्र तिवारी सदस्य, गुजरात अंबुज यूनियन सितारगंज के रंजीत सिंह, हरीश, सोहनलाल, चंद्र मोहन, दिनेश राम, नरेश आदि शामिल रहे।

लटमीपुर मैनर का डीएम ने किया निरीक्षण

जनसंवाद में अधिकारियों ने किया जनसमस्याओं का किया निस्तारण



कहा कि जनता की कोई भी समस्या हो, उसका निस्तारण व्यक्तिगत रुचि लेकर समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है, उनका सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण के क्रम में शीघ्रता से निस्तारण करना है। डीएम ने कहा कि तहसील दिवस में जिन समस्याओं का निस्तारण संभव नहीं हो पाया है, उन समस्याओं को सम्बन्धित विधायियों को हस्तगत किया जा रहा है, ताकि जन समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण हों के साथ ही शासन स्तर की समस्याओं के शीघ्रता से निस्तारण तथा पॉलिसी परिवर्तन आदि की आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसी परिवर्तन कार्य शुरू हो सके जिससे कि जनता अधिक से अधिक लाभान्वित हो और योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्र की जनता भी आसानी से उठा सके। उन्होंने कहा कि जनता भी आसानी से उठा सके। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्यान, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही से फरियादियों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। तहसील दिवस में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्यान, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, राजस्व, चकबंदी, सेवायोजन, उद्योग, समाज कल्याण, गन्ना विकास, पुलिस, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, शहरी विकास, विद्युत,



सहकारिता आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र व्यक्तियों के मौके पर ही फार्म भरवाए गए। प्रमुख समस्याओं में पूर्व सैनिक एकता समिति ने बसंत बिहारी आदि की सुविधा देंगे या नहीं। सरकार कॉलोनी पानी, जल निकासी, सड़क आदि की सुविधा देंगे या नहीं। सरकार कॉलोनी पास करती है तो कॉलोनाइजर ने उचित चार्ज भी लेती है, जिसे विकास में लगाया जाता है। उन्होंने समस्या

जिसपर डीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जहां भी कोई कॉलोनी में जमीन खरीदे, पहले कॉलोनाइजर से पूछें कि क्याख्रक्या सुविधाएं मुहैया कराएं, बिजली पानी, जल निकासी, सड़क आदि की सुविधा देंगे या नहीं। सरकार कॉलोनी पास करती है तो कॉलोनाइजर से उचित चार्ज भी लेती है, जिसे विकास में लगाया जाता है। उन्होंने समस्या

निदान हेतु 15 दिन के भीतर सर्वे करने के निर्देश दिए। मोहम्मद यासीन ने प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास चाहने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि आवास चाहने वाले व्यक्तियों का सर्वे कर क्रमांक सहित सूची तैयार की जाए। हयात सिंह ने दो साल से दाखिल खारिज न होने की शिकायत की, इस संबंध में पटवारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस खसरे में गेक लगी हुई है और जांच चल रही है। जिलाधिकारी ने लक्ष्मीपुर मैनर का निरीक्षण के दौरान अधिकारी अधिकारी सिंचाई को निर्देश दिए कि नहर को बरिंग एवं सड़क निर्माण के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो और जल भराव की स्थिति का सामना न करना पड़े। देनेज सिस्टम तैयार करते हुए कहा कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री करने वाले के नाम है या नहीं और कोई विवाद तो लंबित नहीं है आदि की जांच करते हुए यदि सभी कुछ सामान्य है तो दाखिल खारिज की कार्यवाही की जाए। केदार दत्त पुरोहित ने खनन वाहनों से आरबीएम रस्ते में गिरने से नाले जाम होने, नाले चोक होने से पानी खेतों में भर जाने की शिकायत

रैली व नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया जागरूक

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे 34 वें सड़क सुरक्षा मह के तहत आज हिन्दुस्तान जिंक के सहयोग से रैली व नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इससे पूर्व हिन्दुस्तान जिंक से प्रारम्भ हुई जारूकता रैली मुख्य मार्गों से होती हुई डीडी चौक पहुंची जहां हिन्दुस्तान जिंक के कर्मियों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर पौजूद लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। एसपी क्राईम चन्द्रशेखर थोटके, एसपी सीटी मोज



कत्याल व एसपी निहारिका तोमर ने भी लोगों को वाहन चलाने के दौरान यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। नुक्कड़ नाटक कलाकारों में जरीन खान, कुंदन, बबिता, प्रीति, समर आदि शामिल थे। इस मौके पर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार, एसएसआई कमल हसन, ट्रायटिंग कैम्प थाना प्रभारी भारत सिंह, सीओ पंतनगर कपेश चन्द्र, एसआई मनीष शर्मा, नरेश मेहरा, सीपीयू के प्रभारी राकेश बिष्ट, उमेश डांगी, दीपक भट्ट, कां नरेश जोशी सहित हिन्दुस्तान जिंक के कई अधिकारी मौजूद थे।

राम मंदिर के जैसा भव्य मंदिर बनेगा मधुपुरा और काशी में : डॉ. तोगड़िया



गदरपुर (उद संवाददाता)। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान देने वाले अशोक सिंहल, महंत अवैद्यनाथ, रामचंद्र परम घोष, बाला साहब ठाकरे और कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। मंगलवार सुबह डॉ प्रवीण तोगड़िया के गदरपुर आगमन पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंगदल व मातृ शक्ति

काम किया। प्रवीण तोगड़िया ने यूसीसी को लेकर उत्तराखण्ड सरकार को बधाई देकर कहा कि देश में मजहब के आधार पर दो कानूनों की पंपांस समाप्त करने का सीएम धार्मी ने साहस दिखाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब पूरे देश में समान नागरिक सहित कानून लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा के नाम के लिए नहीं बल्कि राम के लिए निकले हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार

अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनाया गया है उसी प्रकार काशी व मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय संगठन मंत्री इश्वरीय प्रसाद, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुभाष जोशी, विभाग अध्यक्ष भगवन सिंह म्यान, जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सैनी, विपुल प्रजापति, प्रयांशु गुप्ता, निशांत गुप्ता, आनंद रावत, आकाश रावत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एक्सटर्नल एसेसमेंट टीम ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण



गदरपुर (उद संवाददाता)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में एक्सटर्नल एसेसमेंट टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर का बहुद निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर हॉस्पिटल एवं उपकरणों की साफ प्राईवीण तोगड़िया के गदरपुर आगमन पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंगदल व मातृ शक्ति

चिकित्सालय खटीमा का निरीक्षण किया जाना है। दिनांक 2 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य उत्तराखण्ड नगर एवं चंपावत जिले की चिकित्सा इकायों का कायाकल्प एक्सटर्नल एसेसमेंट करना है उपरोक्त के क्रम में दिनांक 3 फरवरी 2024 को राजकीय चिकित्सालय

बाजपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर का निरीक्षण किया गया। उपरोक्त चिकित्सा इकायों में मरीजों के हित में किये जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया। कायाकल्प एक्सटर्नल एसेसमेंट टीम द्वारा नमित एनजीओ प्रतिनिधि शामिल हैं। सफाई की व्यवस्था की गयी गोस्वामी एवं चिकित्सा स्टाफ द्वारा पुष्ट कुछ देकर टीम का स्वागत किया गया।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजनी डॉ विकास सचान, बीपीएम मोहम्मद रिजवान, चीफ फार्मेसिस्ट मोहन नाथ गोस्वामी एवं चिकित्सा स्टाफ द्वारा पुष्ट कुछ देकर टीम का स्वागत किया गया।

साइकिल यात्रा पर अयोध्या से लौटे राम भक्तों का किया स्वागत

रुद्रपुर (उद संवाददाता) साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रुद्रपुर के दो राम भक्त अयोध्या पहुंचे और साइकिल से ही रुद्रपुर आज वापस ही वापस शहर में पहुंचे जहाँ उनका

पूर्व साइकिल से यात्रा कर अयोध्या धाम पहुंचे जहाँ उन्होंने भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और साइकिल से ही रुद्रपुर आज वापस पहुंचे। जहाँ शिव नगर के प्राचीन मंदिर

उत्तरांचल दर्पण सम्पादकीय

पेपर लीक पर अंकुश

परीक्षाओं में नकल, समय से पहले प्रश्न-पत्रों का बाहर आ जाना और अन्य प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कई तरह की कावायदें की जाती रही हैं। मगर आज भी इस समस्या पर काबू पाना एक मुश्किल काम बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाओं के आयोजन के दौरान बहुसंख्यीय निगरानी और सख्ती की वजह से नकल और चोरी जैसी गतिविधियों में कमी देखी गई है, मगर प्रश्न-पत्रों के बाहर आने से लेकर अधर्थी की जगह किसी अन्य को परीक्षा में बिटाने जैसी शिकायतें अब भी आती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल वहां खड़ी होती है, जहां संगठित रूप से किसी गिरोह की ओर से परीक्षाओं में नकल या अन्य गैरकानूनी तौर-तरीके आजमाए जाते हैं, जिसमें कई स्तर पर परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े कुछ लोग भी भ्रष्ट गतिविधियों में लिपित होते हैं। यही वजह है कि बहुत ज्यादा सख्ती के बावजूद प्रश्न-पत्र लीक होने से लेकर नकल जैसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए जो विधेयक संसद में पेश किया है, उसके कानून बनने के बाद नकल या अवांछित गतिविधियों पर काबू पाने की उम्मीद बंधी है। लोकसभा में पेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2024 के तहत मुख्य जारी परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्न-पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित गिरोहों पर नकल करने पर दिया जाएगा। इसके दायरे में फिलहाल संघ लोकसेवा आयोग, बैंकिंग, नीट, जेईई, एसएसबी, आरआरबी और सीयूईटी आदि परीक्षाएं आएंगी। नए कानून के तहत दस वर्ष तक की कैद और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जाहिर है, इस स्तर की सख्ती किसी को भी परीक्षा से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से रोकेगी। मगर ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रश्न-पत्र लीक करने से लेकर अन्य किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले गिरोह दरअसल परीक्षा आयोजन से जुड़े तंत्र में घुसपैठ करके भ्रष्ट गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसलिए सजा में सख्ती के साथ इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए एक ठोस तंत्र की जरूरत है।

यातायात नियमों का पालन करने की दिलाई शपथ उत्तराखण्ड को नई दिशा देगा

अल्पोदा (उद्द संवाददाता)। सड़क कारी उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिये। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलाने के लिये जो नियम बनाये गये हैं वे हम सभी को दुर्घटनाओं से बचाने के लिये बनाये गये

वजह से होती है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मोटर ट्रान्सपोर्ट ड्राइविंग द्वितीय स्तर कोर्स (बैच सं 104) में प्रथम स्थान पर जीवनश कुमार, द्वितीय स्थान पर सत्यवीर सिंह एवं तृतीय स्थान पर रहे सुनील कुमार को को संघर्षनीय स्थान पर रहे रवि यादव को कोर्स प्रमाण पत्र प्रदान किये।

गगनरीप एवं तृतीय स्थान पर रहे गणेश सिंह को कोर्स प्रमाण-पत्र प्रदान किये। मुख्य विकास अधिकारी आंकाश कोण्डे ने स्नो ड्राइविंग कोर्स (बैच सं 02) प्रथम स्थान पर रहे सतीश कुमार, द्वितीय स्थान पर करन शर्मा एवं तृतीय स्थान पर रहे रवि यादव को कोर्स प्रमाण पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पिंचा ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुये यातायात के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि यातायात के नियम आपके जीवन को बचाने के लिये बनाये गये हैं इसलिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना सीखे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिये हमेशा आगे आना चाहिये। इस दौरान वाहन दुर्घटना के समय किस तरह से बचाव कार्य किया जाता है कि डेमों जवानों द्वारा दिखाया गया। इस अवसर पर द्वितीय कमाण्डे अईटीबीपी पुनीत सचदेवा, उपजिलाधिकारी सदर जयवर्धन शर्मा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी गुरुदेव सिंह, अनिता चन्द्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड व स्थानीय किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन परिषद् की मोट अनाज से अन्य खाद्य बनाने हेतु वैज्ञानिक डा. कंचन कार्कों ने किया व धन्यवाद प्रस्ताव पटवाडांगर संस्थान के प्रभारी डा. सुमित पुरोहित ने दिया। उक्त कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक महिलाओं से प्रतिभाग किया।



अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी सुरक्षा कार्मिकों व स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने की लाखों लोगों की मृत्यु रोड दुर्घटनाओं की

रुद्रपुर(उद्द संवाददाता)। उत्तराखण्ड विधानसभा में समान नागरिक सहित विधेयक पेश किये जाने पर निर्वत्मान मेयर रामपाल सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से उत्तराखण्ड देश के लिए एक नजीर बनेगा। मीडिया को जारी बयान में निर्वत्मान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे देश में एक इतिहास रचने का काम किया है। इस विधेयक को लाकर सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान किया है। इस विधेयक की जरूरत उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। यह कानून उत्तराखण्ड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस कानून का लक्ष्य बिना धर्म जाति लिंग में भेदभाव किये सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का है। जो लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं वास्तव में वह जनता और देश के हितषी नहीं है। इसमें जो प्रावधान किये हैं उनमें सभी के हित सुरक्षित हैं। यूसीसी परिधेयक लाकर सरकार ने अपना वायदा निभाया है। मुख्यमंत्री धामी ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरह वह जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रामपाल सिंह ने कहा कि इस कानून से किसी को डरने की अवश्यकता नहीं बल्कि इसे सहर्ष सभी को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इस कानून का लक्ष्य बिना धर्म जाति लिंग में भेदभाव किये सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का है। कुछ लोग बिना यूसीसी को जाने-समझे अपने निहित स्वार्थ के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से तीन-चार शादी करने पर रोक लगेगी और कई कुरीतियों का खात्मा होने से समाज को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी देश हित में अच्छा कानून है।

दुर्ध संघ की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रभा रावत का किया जोरदार स्वागत

शक्तिकार्म (उद्द संवाददाता)। राजकीय इंटर कालेज शक्तिकार्म से बाजे गाजे के साथ विजय जुलूस निकालकर जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका स्वागत किया। बसगर में भी

जिला अस्पताल में आज पहुंचेगी रेबीज के लक्षण हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएंगी। जिन भी मरीजों को हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां की आवश्यकता हैं वह जिला चिकित्सालय में औषधि डिपार्टमेंट में 7 फरवरी के बाद संपर्क कर दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। अभियंते सक्सेना ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां जिला चिकित्सालय में जल्द उपलब्ध हो जाएंगी। जिन भी मरीजों को हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां की आवश्यकता हैं वह जिला चिकित्सालय में अधिकारी ने कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से तीन-चार शादी करने पर रोक लगेगी और कई कुरीतियों का खात्मा होने से समाज को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी देश हित में अच्छा कानून है।



शक्तिकार्म पहुंचने पर क्षेत्र की सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। लोगों

महिलाएं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके परित ऊंचम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट



शक्तिकार्म पहुंचने पर क्षेत्र की सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। लोगों

महिलाएं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके परित ऊंचम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट

बॉयोटैक्नोलॉजिकल इन्टरवेंशन पर कृषक गोष्ठी आयोजित

प्रति बड़ रहा और रंगीन मछलियों की बड़ी संख्या में मांग बढ़ रही है। डा. सिंह ने पहाड़ व मैदानी इलाकों में पायी जाने वाली की विभिन्न प्रजातियों व सीडलिंग पर प्रकाश डाला व मत्स्य पालन हेतु विभिन्न प्रकार के छोट, संजय कुमार ने किसान महिलाएं व स्वयं सहायता समूह से आहवान किया कि वे पशुपालन, मछली के बाबत कार्यक्रमों के जरिए अपने घर की आर्थिकी को सुधार सकती हैं। डा. संजय ने कीटनाशक रहित आयोजिक फारमिंग के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिकूल प्रभाव एवं जल संरक्षण पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने आयोजिक गोबर की खाद, वर्मिमोस्ट एवं पारम्परिक खेती पर बल दिया। उन्होंने अमलीय व क्षारीय मिट्टी पर प्रकाश डाला व मत्स्य पालन के बाबत चर्चा की। व्याख्यान

संस्था के योगदान पर प्रकाश डाला व मोटे अनाज व मिलिट्रेस के पोषक तत्वों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। डा. नैनवाल ने कहा कि मोटे अनाज में कैल्शियम, विटामिन्स, सूक्ष्म तत्व व न्यूट्रीयंट्स अन्य अनाजों के सापेक्ष अधिक मात्रा में पाये जाते हैं व इनसे बने उत्प

मान्यताओं के अनुसार ही होगे रीति रिवाज, प्रतिबंधित होगा बहुविवाह

उत्तराखण्ड सरकार ने यूसीसी बिल पेश कर रखा नवा की तिमान, 2010 के बाद हुई शादी का होगा पंजीकरण

देहरादून (उद्धव)। उत्तराखण्ड सरकार ने देश में पहली बार यूसीसी बिल विधानसभा में पेश कर नया की तिमान रखा है। देश के पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बिल में किसी धर्म विशेष का जिक्र तो नहीं लेकिन कई नियमों के बदलाव में रुद्धि, परंपरा और प्रथा को खत्म करने का आधार बनाया गया है। महिलाओं को समानता का अधिकार देने के उद्देश्य का हवाला देते हुए राज्य में लागू होने वाले यूसीसी के ड्राफ्ट में एक विवाह के बाद दूसरे विवाह को पूरी तरह से अवैध करार दिया गया है। अगर आपका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, तो उसका पंजीकरण कराना होगा। पहले जो करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बिल में यह प्रावधान है। खास बात ये भी है कि कानून लागू होने के छह माह के भीतर पंजीकरण न कराने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। पंजीकरण में गलत तथ्य देने वालों पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। यूसीसी में स्पष्ट किया गया कि विवाह करने वालों में से अगर स्त्री या पुरुष राज्य का निवासी होता तो उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 (उत्तराखण्ड अनिवार्य विवाह पंजीकरण एक्ट) तक के जो विवाह अधिकारियों को रजिस्ट्रार और क्षेत्रों के लिए सब रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे। यूसीसी में ये प्रावधान किया गया कि विवाह तभी होगा जबकि पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्त्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। कोई भी व्यक्ति जो विवाह होने के बाद जानबूझकर पंजीकरण नहीं कराएगा या उपेक्षा करेगा, उस पर सब रजिस्ट्रार 10 हजार का जुर्माना लगा सकते हैं। जो व्यक्ति पंजीकरण में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा या कूटरचित दस्तावेज लगाएगा, उसे तीन माह की जेल और 25 हजार रुपये ले किन उनकी एक से अधिक अधिकारियों को रजिस्ट्रार और क्षेत्रों के लिए सब रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे। यूसीसी में ये प्रावधान किया गया कि विवाह तभी होगा जबकि पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्त्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। कोई भी व्यक्ति जो विवाह होने के बाद जानबूझकर पंजीकरण नहीं होता तो सब रजिस्ट्रार इसका खुद भी संज्ञान ले सकेगा। वह नोटिस भेजेगा, जिस पर 30 दिन के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। पंजीकरण न कराने पर कोई विवाह अविधि मान्य नहीं होगा।



पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करेगी सरकार, विवाह के लिए पुरुष की 21, स्त्री की 18 वर्ष आयु विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करेंगे, पंजीकरण नहीं करने पर दोनों पर 10 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना

ले किन उनकी एक से अधिक अधिकारियों को रजिस्ट्रार और क्षेत्रों के लिए सब रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे। यूसीसी में ये प्रावधान किया गया कि विवाह तभी होगा जबकि पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्त्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। कोई भी व्यक्ति जो विवाह होने के बाद जानबूझकर पंजीकरण नहीं कराएगा या उपेक्षा करेगा, उस पर सब रजिस्ट्रार 10 हजार का जुर्माना लगा सकते हैं। जो व्यक्ति पंजीकरण में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा या कूटरचित दस्तावेज लगाएगा, उसे

का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। जो सब रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रक्रिया, विच्छेद पर 15 दिन के भीतर एक्शन नहीं लेगा, उस पर भी 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई विवाह होता है और उसका पंजीकरण नहीं होता तो सब रजिस्ट्रार इसका खुद भी संज्ञान ले सकेगा। वह नोटिस भेजेगा, जिस पर 30 दिन के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। पंजीकरण न कराने पर कोई विवाह अविधि मान्य नहीं होगा।

जो संकल्प लिया था उसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं : धामी

देहरादून (उद्धव)। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमनें वर्ष 2022 में प्रदेश की जनता से राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लाने का जो संकल्प लिया था, उसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखण्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजय एक भारत, श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तरांभ बनेगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

धामी ने उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज नजर आए। विधेयक पटल पर रखने के बाद पूरे दिन सदन में डटे रहे। सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक सीएम धामी यूसीसी पर चर्चा में शामिल रहे। उध्वावर को यूसीसी विधानसभा सदन में पारित होना तय है। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी है। सदन में पारित होने के बाद उत्तराखण्ड यूसीसी को लागू करने में देश का पहला होगा। साथियां निकल जरूर पड़ी तो इस कानून को लागू करने से पहले अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के भेजा जा सकता है। 11 बजे मुख्यमंत्री स्वयं यूसीसी के ड्राफ्ट की प्रति लेकर विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। माथे पर तिलक, सफेद कुरु पैजामा, नारंगी रंग का वारस्क और गले में मफलार पहने धामी आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। उनके के चेहरे पर संतुष्टि का भाव भी था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने प्रदेश की जनता यूसीसी लागू करने का वादा किया था। इस बाद को पूरा करने के लिए सदन में सीएम उत्साहित नजर आए। साथ ही पूरे दिन सदन में डटे रहे। आमतौर पर व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री सदन में कम समय के लिए आते हैं। लेकिन यूसीसी पर चर्चा के लिए सीएम देर शाम तक सदन में रहे।



SAMSUNG

IFB

Whirlpool

DAIKIN

DELL

AMSTRA

SONY

BOSCH

Haier

VOLTAS

dyson

JBL

MITSUBISHI ELECTRIC

SANSUI

गुरु माई

महा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्सव

अब मिलेगा Online

सबसे कम दाम की गारंटी

से भी सस्ता

गुरु माई

GURU MAA ELECTRONICS

RUDRAPUR | 9917161111-8410888888

गदरपुर

काशीपुर

हल्दानी

गुरु नानक इंटर प्राइंजेज

चीमा चौराहा

रामनगर रोड

तिकोनिया

(9917161111) (8410888888)

(9927813555) (8791989500)

(9997207007) (9690256666)

पीलीकोठी